17.5.18

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट कोड में पेश हुई।
पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।
ग्राम खटकड़ के भूमि ख०नं० 299 के आवेदक व अनावेदक सं. 1 से 4 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। प्रश्नगत भूमि ख.न. 299 के हक हकूक का निर्णय तो वाद पत्र की विधिवत कार्यवाही के पश्चात ही तय होना है लेकिन तब तक उभय पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद एवं मुकदमा बाजी नहीं बढ़े इसके लिए प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवेदक का मुख्य विवाद अना.न. 3 व 4 से होना अंकित किया है। प्रकरण में अनावेदक सं 1 राजेन्द्र ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक को अनावेदक सं. 1 राजेन्द्र के हिस्से की भूमि को लेकर विवाद नहीं है लेकिन भूमि संयुक्त खातेदारी होने के कारण अनावेदक सं. 1 का हिस्सा 1/6 भी स्थगन आदेश से प्रभावी हो रखा है, अतः अनावेदक सं. 1 के हिस्से की भूमि को स्थगन से मुक्त किया जावे।

उक्त विवेचन से आवेदक का प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा अना० सं. 2 लगायत 6 को वादपत्र के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम खटकड़ के भूमि ख.न. 299 रकबा 3.29 हे. में अना. नं. 1 राजेन्द्र के हिस्से की भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली बसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा मूलवाद के संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी